# न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर,बाली जिला पाली राज.

**पीठासीन अधिकारी : जितेन्द्र कुमार पाण्डे आर.ए.एस.**

**प्रकरण संख्या : 11/2022**

**जी.सी.एम.एस. नम्बर : 2022/78**

| प्रार्थीगण | | अप्रार्थीगण |
|---|---|---|
| सरकार जरिये तहसीलदार, बाली | बनाम | मांगीलाल पुत्र दरगा जाति कीर निवासी दांतीवाड़ा तहसील बाली जिला पाली राज. |

**प्रार्थना पत्र अन्तर्गत नियम 14(4) राजस्थान भू–राजस्व (कृषि प्रयोजनार्थ आवंटन नियम, 1970 विरुद्ध आवंटन आदेश क्रमांक 1731 दिनांक 21.06.1992 को ग्राम दांतीवाड़ा के खसरा नम्बर 739/803 रकबा 0.74 हैक्टेयर किस्म बारानी सोयम भूमि मांगीलाल पुत्र दरगा जाती कीर के नाम से आवंटन/नियमन की गई।**

<u>–:निर्णयः–</u>

दिनांकः 30.04.2024

संक्षेप में प्रकरण इस प्रकार से है कि तहसीलदार बाली द्वारा एक प्रार्थना पत्र अंतर्गत नियम 14(4) राजस्थान कृषि प्रयोजनार्थ भू आवंटन नियम 1970 प्रस्तुत कर निवेदन किया गया कि ग्राम दांतीवाड़ा के खसरा नंबर 739/803 रकबा 0.74 हेक्टेयर किस्म बारानी सोयम भूमि श्री मांगीलाल पुत्र दरगा जाति कीर को आवंटित/ नियमन की गई थी।

आवंटी का मौके पर कब्जा क़ाश्त नहीं है आवंटी का व्यवसाय कृषि या कृषि सह कार्य नहीं है आवंटी के द्वारा आवंटन/नियमन की शर्तो की पालना नहीं की है। अतः राजस्थान कृषि परियोजनार्थ भु आवंटन नियम 1970 के नियम 14(4) के तहत प्रस्तुत प्रार्थना पत्र को स्वीकार किया जाकर आवंटी का आवंटन /नियमन निरस्त फरमाया जावे।

प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थी श्री मांगीलाल को नोटिस जारी किया गया है। अप्रार्थी अनुपस्थित रहा। तहसीलदार बाली से उक्त आवंटन के संबंध में वस्तु स्थिति की रिपोर्ट चाही गई। तहसीलदार बाली ने अपने पत्रांक 126 दिनांक 29.4.2024 से रिपोर्ट प्रस्तुत की। जिसके अनुसार ग्राम दांतीवाड़ा के खसरा नंबर 739/803 रकबा 0.74 हेक्टेयर मांगीलाल पुत्र दरगा जाती कीर के नाम गैर खातेदार दर्ज है। खसरा नंबर 739/803 रकबा 0.74 हेक्टेयर गलत दर्ज है। मिसल बंदोबस्त नई संवत 2037- 2056 के खाता संख्या 639/803 रकबा 0.74 हेक्टेयर दर्ज है जो कि सही खसरा नंबर है। उपखंड अधिकारी के आदेश दिनांक 21.6.92 के तहत पटवारी भींटवाडा द्वारा म्यूटेशन संख्या 144 दायर किया गया जिसमें खसरा नंबर 639/803 के स्थान पर 739 /803 दर्ज कर दिया गया जो कि गलत है जिससे अर्थ का अनर्थ हो गया है। खसरा नंबर 739 का कुल रकबा मिसल बंदोबस्त संवत 2037- 2056 के खाता संख्या 46 अनुसार वगतिया वल्द पूरा कौम मेघवंशी साकिन देह खातेदार दर्ज था जो कि वर्तमान में भी वगतिया के उत्तराधिकारियों के नाम दर्ज है अर्थात खसरा नंबर 739 में से कोई भी रकबा किसी को भी आवंटन नहीं हुआ है। ऐसी स्थिति में यदि यह प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाता है तो मूल खातेदार अमराराम पुत्र वगतीया वगैरह को अपूर्णनीय क्षति होगी क्योंकि सेग्रीगेशन के दौरान गलत रूप से खसरा नंबर 739 में 739/803 की गलत तरमीम की गई है। अतः प्रार्थना पत्र एवं तहसीलदार की वस्तु स्थिति की रिपोर्ट अनुसार प्रकरण नियम 14(4) के अंतर्गत परिपोषणीय नहीं होने से खारिज किया जाता है।

निर्णय आज दिनाक 30.04.2024 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया पत्रावली फेशल शुमार की जाकर नंबर से कम हो ।

न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर बाली (पाली)

(जितेन्द्र कुमार पाण्डे)
R.A.S
अतिरिक्त जिला कलेक्टर
बाली, जिला पाली